

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 452] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 6, 1982/अश्विन 14, 1904
No. 452] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 6, 1982/ASVINA 14, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर 1982

कां०शा० 715 (अ)---कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34)
की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार
एतद्वारा 10 अक्टूबर, 1982 का उग तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधि-
नियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पढ़ने ला प्रवृत्त की जा चुकी है) और
अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय

जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपरान्त हरियाणा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :--

"जिला सिरसा में राजस्व ग्राम खैरपुर
हद बस्त नं० 97"

[सं० एस०-38013/35/82-एच०आई०]

ए०के० भट्टराई, जवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION
(Department of Labour)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 1982

S.O. 715(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 10th October, 1982 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Haryana, namely :—

"Revenue Village Khairpur
Had Bast No. 97
District Sirsa".

[No. S-38013/35/82-HI]

A. K. BHATTARAI,
Under Secy.